

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 09] No. 09] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 5, 2016/पौष 15, 1937 NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 5, 2016/PAUSA 15, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2016

सं. 01/2016-सीमा शुल्क (गै. टै.)

सा.का.िन. 9(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 146 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, कस्टम ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेगुलेशन्स, 2013 में आगे और संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है:-

- 1. (1) इन विनियमों को कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग (संशोधन) विनियम, 2016 कहा जाएगा।
  - (2) यह सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होंगे।
- 2. उक्त विनियम में, नियम 5 में, उपवाक्य (च), उप-उपवाक्य (ii) में, 'सीए/एमबीए/एलएलबी शब्दों के लिए, 'सीए/एमबीए/एलएलबी/एसीएमए/एफसीएमए' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 502/1/2013-सीमा शुल्क-VI] जुबेर कामिली, निदेशक (सीमाशुल्क)

[नोट:- प्रधान विनियम को, भारत के राजपत्र सा.का.नि. 395(अ) असाधारण के भाग-II, खंड 3 के उपखंड (i), दिनांक 21 जून 2013 के तहत अधिसूचना सं. 65/2013-सीमाशुल्क (गै.टै.) दिनांक 21 जून, 2013 के द्वारा प्रकाशित किया गया था।]

53 GI/2016 (1)

### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

# (Central Board of Excise and Customs)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th January, 2016

No. 01/2016-Customs (N.T.)

**G.S.R. 9(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 146 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Customs Brokers Licensing Regulations, 2013, namely:-

- 1. (1) These regulations may be called the Customs Brokers Licensing (Amendment) Regulations, 2016.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the said Regulations, in regulation 5, in clause (f), in sub-clause (ii), for the letters, 'CA/MBA/LLB', the letters 'CA/MBA/LLB/ACMA/FCMA' shall be substituted.

[F. No. 502/1/2013-Cus-VI] ZUBAIR KAMILI, Director (Customs)

[**Note:-** The principal regulations were published vide number G.S.R. 395(E), dated the 21<sup>st</sup> June, 2013 in Part II, Section 3, sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, by Notification No. 65/2013-Customs (N.T.) dated the 21<sup>st</sup> June, 2013].